

प्रेषक,

वी० के० शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक-27 अप्रैल, 2001

विषय : टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के परिशिष्ट -गटप्प में दिये गये "भण्डार क्रय नियमों" तथा परिशिष्ट-गप्प में शासन की ओर से "संविदा" अथवा "अनुबंध" किये जाने हेतु अपनाये जाने वाले सामान्य सिद्धान्तों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय कार्यों के सम्पादन में पारदर्शिता लाये जाने की शासन की नीति के अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए :-

(क) टेण्डर सूचना का प्रकाशन तथा टेण्डर डाकूमेंट्स का उपलब्ध कराया जाना-

टेण्डर प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने की दृष्टि से आई०टी० एवं इलैक्ट्रानिक अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या : 1794/70-आई०टी०-2000, दिनांक : 08 नवम्बर, 2000 के बिन्दु संख्या: 17 के अनुसार शासन के विभागों द्वारा जारी टेण्डरों की सूचना तथा टेण्डर फार्म की प्रति पूनच पदविष्वतह की साइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) टेण्डरों को फाइनल किया जाना-

(1) निर्माण कार्यों के कान्ट्रैक्ट तथा सामग्री की खरीद आदि के सम्बन्ध में क्रय अनुबंध किये जाने हेतु प्राप्त टेण्डरों के निविदादाताओं से बातचीत (निगोशियेशन) सामान्यतः न की जाए। यदि निगोशियेशन द्वारा निविदा प्रकरण में संविदा निष्पादित किया जाना अनिवार्य हो तो सभी निविदादाताओं (जो अर्हता क्षेत्र में आते हैं) से बातचीत (निगोशियेशन) की जाये।

(2) जिन मामलों में "टेक्निकल बिड" तथा "फाइनेन्शियल बिड"-दी जानी होती है, उनमें "टेक्निकल बिड" के मूल्यांकन के निष्पक्ष मापदण्ड (आब्जेक्टिव क्राइटेरियन) होने चाहिए। इस सम्बन्ध में विभागों द्वारा मात्रात्मक मूल्यांकन (फनंजपजंपम मंसंजपवद) हेतु मानक मापदण्ड निर्धारित किये जायें। मानक मापदण्डों का उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेण्ट में भी किया जायें। टेक्निकल बिड के मूल्यांकन में किसी ऐसे बिन्दु या मापदण्ड पर विचार नहीं किया जायेगा जिसका उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेण्ट में न किया गया हो।

(3) टेक्निकल बिड/प्री क्वालीफिकेशन बिड की कण्डीशंस अथवा बिड्स के मूल्यांकन के मापदण्ड शिथिल नहीं किये जायें। इनमें कोई परिवर्तन भी अनुमन्य नहीं होगा, इस आशय का उल्लेख टेण्डर नोटिस (एन०आई०टी०) में ही कर दिया जाये।

(4) टेक्निकल बिड/प्री क्वालीफिकेशन बिड्स में किसी टेण्डरदाता द्वारा शर्तों की पूर्ति न होने अथवा आब्जेक्टिव मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम मानक तक न पाये जाने की दशा में फाइनैसियल बिड्स पर विचार न किया जाये। टेक्निकल बिड/प्री क्वालीफिकेशन बिड के विषय में अन्तिम निर्णय हुये बगैर फाइनैसियल बिड को किसी भी दशा में खोला नहीं जायेगा।

(5) सामग्री/भण्डार के क्रय के सम्बन्ध में तथा निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त टेण्डर के मूल्यांकन की व्यवस्था प्री क्वालीफिकेशन/टेक्निकल बिड के माध्यम से करते हुए न्यूनतम टेण्डर की दर को स्वीकार करते समय टेण्डर समिति/स्वीकर्ता अधिकारी पूर्व अनुभव तथा प्रचलित बाजार मूल्यों को भी यथा सम्भव ध्यान में रखेंगे।

(6) प्राप्त निविदाओं को "फाइनल" करने में नियमों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में अनुमन्य सीमा से अधिक "विचलन" कदापि न किया जाए। पूर्व के किसी अवसर पर प्राप्त टेण्डर के आधार पर पुनः नये कार्यों के लिए आदेश अथवा चालू कार्यों के लिए "रिपीट आर्डर" नहीं दिये जायें। इस सम्बन्ध में स्वीकृत कार्यों को यथा संभव टुकड़ों में न बांटा जाये। यदि ऐसा किया जाये तो उसका कारण उल्लिखित किया जाये।

2. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तर-1 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही में सम्बन्धित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस शासनादेश के द्वारा सम्बन्धित नियमों, एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, अपितु टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है।

भवदीय

वी0 के0 शर्मा

सचिव, वित्त।

संख्या : ए-1-1173(1)/दस-2001-10(55)/2000, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

आर0 के0 वर्मा

संयुक्त सचिव।